



विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत)

पंजीयन क्रमांक जे.आर./यू.जे.एन. 3/94 दिनांक 30/7/94 बैंकिंग लायसेंस सं. यूबीडी एमपी 1086 पी. दिनांक 16/9/94

विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, उज्जैन फोन: 0734-2557530, 2563027

संदर्भ क्र. विडीएनएसबी/27

दिनांक 12/10/2020

विषय : बैंक की 27वीं वार्षिक साधारण सभा की प्रोसिडिंग।

महोदय,

दिनांक 26/09/2020 वार शनिवार को बैंक की 27वीं वार्षिक साधारण सभा महाकाल परिसर हीरामिल रोड़ उज्जैन पर सुबह 09:00 बजे आयोजित की गयी कोरम के अभाव में बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित रखी गई। आधे घंटे के पश्चात सुबह 09:30 बजे पुनः उसी स्थान पर अशोककुमार भूतड़ा की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में कुल 85 सदस्य उपस्थित हुए। कार्यवाही की प्रोसिडिंग की प्रति आपकी ओर प्रेषित है।

(अशोककुमार भूतड़ा)

अध्यक्ष

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन

27 वीं वार्षिक साधारण सभा (2019-20) दिनांक 26/09/2020

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त सदस्यों को बताया गया कि पूर्व बैठक की कार्यवाही विवरण समय सीमा में भेजा गया।

विषय क्रमांक 1 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन (लाभ हानि पत्रक, बैलेंस शीट) वर्ष 2019-20 अनुमोदक विषयक।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि वित्तीय प्रतिवेदन (लाभ हानि पत्रक एवं बैलेंस शीट) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत है। उपस्थित सदस्यों द्वारा बैंक की बैलेंस शीट एवं लाभ हानि पत्रक यथा दिनांक 31/3/2020 को सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उपस्थित सदस्यों में से कुछ सदस्यों द्वारा प्रश्न किये गये एवं कुछ सुझाव दिये गये जो निम्नानुसार है :-

1. श्री महेन्द्र गादिया -

- रजत जयंती वर्ष से पूर्व वार्षिक साधारण सभा के निर्णयानुसार प्रत्येक सदस्य को बैंक का स्मृति चिन्ह जो देना था वह नहीं दिया गया वह दिया जावे।

उत्तर - अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि वर्तमान परिस्थिति कोविड-19 को देखते हुए स्मृति चिन्ह नहीं दिया गया है। स्थिति सामान्य होने पर इस पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री गोविंदजी अग्रवाल-द्वारा बैंक की कार्यशैली एवं सेवा की प्रशंसा की -

- बैंक का डिपाजिट राष्ट्रीकृत बैंको में रखा जाये।

उत्तर - आपके सुझाव पर बैंक की लाभप्रदता देखते हुए युक्तीगत कार्यवाही करने का नोट लिया है।

- बैंक का Extension Counter मंडी परिसर में खोला जाये, बैंक का स्वयं का भवन बनाया जाये।

उत्तर - आपके सुझाव पर कार्यवाही करने का नोट लिया है।

3. श्री रविजी बंसल—

1. ऋणों की ब्याज दरों में कमी की जायें।

उत्तर— ब्याज दर में कमी की गयी है जो अन्य बैंकों के समकक्ष है। स्वर्ण ऋण में ब्याज दर में कमी की गयी है जिसे पढ़कर सुनाया गया। सभी ब्याज दर बैंक की वेबसाईड www.vdnsbank.com पर भी उपलब्ध है।

2. बैंक के ऋण खातों में बढ़ोतरी करने हेतु मार्केटिंग की जावे इसमें संचालक मंडल स्वयं प्रयास करे।

उत्तर — ऋण बढ़ोतरी हेतु मार्केटिंग की जा रही है तथा इस दिशा में बैंक द्वारा अधिकतम प्रयास किये जा रहे हैं।

3. कोविड-19 के अंतर्गत वर्तमान ऋण खातेदारों को क्या क्या सुविधा दी गयी।

उत्तर— कोविड-19 के अंतर्गत सभी ऋण खातेदारों के खातों में मोरेटोरियम प्रदान किया गया है। सी.सी एवं ओ.डी.पी.पी.एल खातों में ग्राहकों की मांग पर एवं मापदण्ड अनुसार स्वीकृत लिमिट से अतिरिक्त 20 प्रतिशत स्वीकृत लिमिट 31/3/2021 तक की गयी है।

4. रजत जयंति के उपलक्ष्य में सदस्यों को स्मृति/चिन्ह दिया जावे।

उत्तर — उक्त प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में दिया गया है।

4 श्री जयंतीलालजी कोठारी —

1. ओ.डी विरुद्ध एफ.डी पर ब्याज दर 1 प्रतिशत से भी कम की जाये।

उत्तर — बैंक के लिये यह प्रस्ताव अहितकारी है इसलिये यह मान्य नहीं किया जा सकता है।

2. वरिष्ठ नागरिकों को प्रचलित ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज दिया जावे।

उत्तर — वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज भारतीय रिजर्व के अनुदेश के अनुसार ही दिया जा रहा है।

3. बैंक द्वारा मोबाईल बैंकिंग की सुविधा पर खुशी जाहिर की गयी एवं कहा कि अब बैंक बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

उत्तर — मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उनके इस प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रदान किया गया।

5 श्री गजेन्द्रजी सकलेवा —

1. हाउसिंग लोन की ब्याज दर कम की जाये।

उत्तर — वर्तमान में बैंक की ब्याज दर समग्र रूप से कम है एवं विशेष रूप से हाउसिंग लोन पर भी कम है। साथ ही वर्तमान हाउसिंग लोन को फिक्सड ब्याज दर से फ्लोटिंग ब्याज में परिवर्तन की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जो प्रत्येक केस में आवेदन आने पर दस्तावेजीकरण करके एवं प्रस्ताव प्रभाव शुल्क अदा करने के उपरान्त पुर्न स्वीकृति दिनांक की दिनांक से की जावेगी।

2. बैंक द्वारा की जा रही त्वरित सेवाओं को अन्य बैंकों की अपेक्षा बेहतर बताते हुए बैंक की कार्य पद्धति की सराहना की गयी।

विषय क्रमांक 2—संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभ विभाजन **वर्ष 2019–20 की स्वीकृति प्रदान करना।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लाभ विभाजन वर्ष 2019–20 प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 11 पर दर्शाया गया है।

अ. क्र	मद	राशि ₹	आम सभा द्वारा स्वीकृत ₹
	लाभ वितरण 2019–20	7680886.14	7680886.14
1	रक्षित कोष	3072355.00	3072355.00
2	डुबत ऋण निधि	2500000.00	2500000.00
3	भवन फण्ड	2100000.00	2100000.00
4	धर्मादा निधि	8531.14	8531.14

प्रस्तावित लाभ विभाजन पर सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 3 वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति प्रदान करना ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में प्रस्तावित बजट प्रकाशित है। साधारण सभा द्वारा ध्वनिमत से प्रस्तावित बजट 2021-22 की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 4 बैंक की वर्ष 2020-21 के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति करने विषयक ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि सी.ए. पेनल का सहकारिता विभाग द्वारा प्रकाशन नहीं किया गया है अतः वार्षिक साधारण सभा में निर्णय लिया गया कि जब भी सहकारिता विभाग भोपाल द्वारा सी.ए. पेनल लिस्ट प्रकाशित हो उनमें से 3 फर्मों के नाम का चयन बोर्ड करे एवं उनमें से सर्वाधिक नम्बर प्राप्त संपरीक्षक फर्म की बोर्ड द्वारा स्वीकृति कर नियुक्ति की जाये। वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में सी.ए. पेनल का प्रकाशन वार्षिक साधारण सभा की दिनांक के पश्चात हुआ था अतः बोर्ड द्वारा चयनित सी.ए. पेनल में से वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 हेतु मेसर्स के.के. एंड कंपनी का चयन किया गया था जो वार्षिक प्रतिवेदन के पेज नंबर 15 पर अंकित है जिसकी पुष्टि की जाती है।

विषय क्रमांक 5 बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों एवं परिवार पर बकायादारी का ब्यौरा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि संचालक मण्डल के सदस्यों एवं उनके परिवारों पर कोई ऋण शेष नहीं है। जो कि वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 14 पर अंकित है।

विषय क्रमांक 6 वर्ष 2021-22 की कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान करना ।

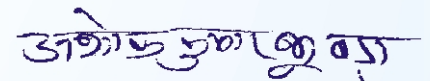
अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 की कार्य योजना की स्वीकृति चाही गयी जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपरोक्त प्रश्नों के जवाब अध्यक्ष महोदय एवं सीईओ श्री शरद गुप्ता द्वारा प्रश्नवार दिये गये।

विषय क्रमांक 7 सदस्यों से प्राप्त सामान्य प्रश्न एवं सुझाव पर विचार ।

बैंक के वरिष्ठ सदस्य माननीय मदनलालजी गर्ग एवं श्री अरविंद गोड उपस्थित नहीं थे फिर भी उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों को सदन में पढकर सुनाया गया एवं उनका उत्तर मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा दिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा 27 वीं वार्षिक साधारण सभा समाप्ति की घोषणा की गयी।



(अशोक कुमार भूतड़ा)

अध्यक्ष

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी

बैंक मर्यादित, उज्जैन

—: विशेष सूचना :—

1. भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंक के सभी ग्राहक सदस्य CKYC पूर्ण करने हेतु बैंक कार्यालय में सम्पर्क कर होने वाली असुविधा से बचे।
2. अगर अंश प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये हो तो शीघ्र प्राप्त करे।
3. बैंक द्वारा मोबाईल बैंकिंग व अन्य सुविधा प्राप्त करने हेतु बैंक में अपना मोबाईल नंबर एवं ई-मेल एड्रेस रजिस्टर कराये।

जमा योजनाएँ

बचत खाता, चालू खाता,
सावधि जमा, आवर्ती जमा

ऋण योजनाएँ

केश क्रेडिट लिमिट, ओव्हरड्राफ्ट लिमिट, कार ऋण, मियादी ऋण,
मकान ऋण, स्वर्ण तारण ऋण, वेयर हाउस रसीद पर ऋण
एवं अन्य अनेक प्रकार की ऋण योजनाएँ

अन्य सुविधाएँ

सभी शहरों के लिये ड्राफ्ट सुविधा
R.T.G.S., NEFT, CTS समाशोधन,
लॉकर सुविधा, मोबाईल बैंकिंग



प्रेषक

विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन

विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, उज्जैन फोन: 0734-2557530, 2563027

प्रति,

बुक—पोस्ट